/नि0 3327/2018/आ/रेवा/भू-रा0

## न्यायालय में श्रीमान आयुक्त महोदय रेवन्यू बोर्ड रीवा जिला रीवा म0प्र0

499

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

रफीतुल्ला खान पिता महबूब खान, निवासी वार्ड नं0 15 पठानी मोहल्ला चंदिया थाना व तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0 ...........निगरानीकर्ता

बनाम

अहमद रजा पिता अब्दुल अहद, निवासी वार्ड नं0 15 पठानी मोहल्ला चंदिया थाना व तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0 ....उत्तरार्थी

अधि0 श्री जितेन्द्र वर्मा द्वारा पेश / 30.5.18

**निगरानी विरूद्ध पारित राजस्व निरीक्षक मण्डल चंदिया तहसील चंदिया के रा0प्र0क्र0 15अ–12/2016–17 निर्णय दिनांक 20.02.18 के विरूद्ध**

**अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता**

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निवेदन करता है कि निगरानीकर्ता के द्वारा आराजी ख0नं0 1265 एवं 1353 रकवा क्रमशः 0.117 हे0, 0.271 हे0 स्थित ग्राम चंदिया प0ह0चंदिया जिला उमरिया म0प्र0 के उत्तरार्थी के द्वारा कराये जा रहे सीमांकन कार्य पर आपत्ति प्रस्तुत किया था क्योकि निगरानीकर्ता दोनो आराजियों का सीमावर्ती कृषक है जिसमें निगरानीकर्ता की 1266, 1318 दो किता भूमि उक्त दोनो सीमकिंत भूमि की सरहदी भूमि है, निगरानीकर्ता अपनी उक्त दोनो भूमि ख0नं0 1266, 1318 में पुरानी मेढ़ डलवाकर करीब 50–60 वर्षो से काबिज काश्त है उक्त मेढ़ से निगरानीकर्ता अपने खेतों मे आने जाने का रास्ता बनाया है तथा करीब 8 फिट चौड़ी मेढ़ को निगरानीकर्ता ही अपनी भूमि के पानी बहाव को रोकने हेतु डालवाया था जिसमें दिनांक 06.12.17 को उत्तरार्थी के द्वारा राजस्व निरीक्षक से मिलकर निगरानीकर्ता की भूमि को अपने भूमि के अंदर अवैध तरीके से नाप कराकर कब्जा मे लेने का प्रयास कर रहा है। जिससे दुखी होकर यह निगरानी श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :–

## निगरानी के आधार

1. यहकि निगरानीकर्ता को राजस्व निरीक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार से

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-3327/2018/उमरिया/भू.रा.

रफीतुल्ला खान विरूद्ध अहमद रजा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 23-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र वर्मा एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री शिवशरण सिंह उपस्थित।<br>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल चंदिया, तहसील चंदिया, जिला-उमरिया के प्र.क्र. 15/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20-02-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी।<br>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।<br>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये<br>(आर.के. जैन) 23/01/19<br>सदस्य | |
| 23/01/19 | | |